

न्यायालय तहसीलदार कठुमार (अलवर) राज.

परकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का कुसारी

बनाम ... अपाना सिद्धी वीरवल

प्रकरण अर्तगत धारा 81एलआर फुकर

25/2/19

निर्णय दिनांक :- 25/2/19

प्रकरण संख्या - RA/39

प्रदावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि याम ... कुसारी ... की आवेदन सं. 454 फुल रकबा 1.08 ... किराजा जमीन ... में से 0-01

रकबा पर भी ... अपाना सिद्धी वीरवल ... पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर ... की ... कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का ... कुसारी ... द्वारा धिर्नांक ...

12/6/18 को उत्तरे के विरुद्ध याचनी कायदा की किये जाने की रिपोर्ट मद्य लाईव ... के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया

जाकर अतिक्रमि ... कठुमार ... जाति ... निवासी ... कुसारी को ... राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील

करवाई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल प्रदावली किया गया। अतिक्रमि ... अपाना

उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल प्रदावली है। उत्तर रकबा सं. 454 ... रकबा 1.08 में से 0.01

रकबा किराजा ... कठुमार ... के विरुद्ध की जायगी है कि राजा केरसायम की अतिक्रमणित रकबा से वेदखल किया जाने के आदेश दिए जाने पर यह उण्ड स्वरूप लगान 63पाइ का

50 गुणा ... 321 रूप से पैनल्टी आरोपित की जाती है मांगा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी तहसील एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी ... कुसारी ... भू.अ.निरी. कठुमार

को लिखा जाकर बाद तामील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठुमार (अलवर) राज.
कारुणिक अलवर (राज.)

अतिरिक्त :- प. ह.

प. व. सं. 4 के फुल सं. 16 ... क. सं. 15
सं. 2.12-19 ... कायमी ... 321

12/3/19
तहसीलदार
कठुमार